न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी- डॉ0 नवनीत कुमार (आर.ए.एस)

अपील संख्या -15/2007

उनवान

1. नारायणी पुत्री गंगोल्या पत्नि कन्हैयालाल फौत
   1/1 झालू राम पुत्र कन्हैयालाल जाति माली निवासी गीजगढ तह0 सिकराय हालवासी कालाखो तह0 दौसा।

अपीलाण्ट

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र नारायण फौत
   1/1 लल्लूराम
   1/2 किशोर
   1/3 सन्तोष
   1/4 सुरेश
   1/5 रामखिलाडी
   समस्त पुत्रान स्व0 रामजीलाल जाति माली निवासी गीजगढ तह0 सिकराय जिला दौसा।
   1/6 कौशल्या पुत्री स्व0 रामजीलाल जाति माली निवासी गीजगढ तह0 सिकराय जिला दौसा।
2. ग्राम पंचायत गीजगढ जरिए सरपंच ग्राम गीजगढ तह0 सिकराय जिला दौसा।
3. तहसीलदार एवं लैण्ड होल्डर तह0 सिकराय।

रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 964 एवं 965 ग्राम पंचायत गीजगढ

अपीलाण्ट की ओर से श्री बालकृष्ण गौड एड0

निर्णय निर्णय दिनांक 03.10.2026

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। अपीलाण्ट अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम गीजगढ तह0 सिकराय के गंगोल्या पुत्र मूरया जाति माली की मृत्यु अपील दायरी के 33 वर्ष पूर्व हो गई थी, उसकी मृत्यु के समय उसका कोई जाईन्दा या दत्तक पुत्र नहीं था मृतक द्वारा अपने जीवन में किसी को गौद ही लिया और न ही किसी के हक में वसीयत लिखी है। उसकी मृत्यु के समय उसकी एक मात्र जीवित वैद्य वारिस अपीलाण्ट नारायणी थी किन्तु रेस्पोडेण्ट संख्या 1 जो कि नारायण का लडका है बेईमानी एवम कपटपूर्वक हल्का पटवारी एवं तत्कालीन सरपंच से मिलकर फर्जी दस्तावेज को गढकर मृतक गंगोल्या का दत्तक पुत्र बनकर अपीलाधीन प्रस्ताव संख्या 9 बिना अपीलाण्ट को सूचना दिये गुपचुप तरीके से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का उल्लंघन कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का हनन कर अपने नाम करवा लिया है जो सरासर गलत एवं अवैध एवं अन्यायपूर्ण है जिसके विरूद्ध अपील निम्न आधारों पर पेश है कि नामान्तकरण संख्या 964 एवं 965 जिसे की ग्राम पंचायत गीजगढ द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 30.07.99 को निर्णित किया है जो कि कानूनन अवैध है इसलिए निरस्तनीय है। हल्का पटवारी द्वारा उक्त नामान्तकरणों पर गंगोल्या को नाऔलाद फौत होना बताया है तथा नाऔलाद फोतगी के पश्चात रामजीलाल पुत्र नारायण को गोद जाना दर्शित किया है जो कि दोनो ही गलत है गंगोल्या नाऔलाद फौत नहीं हुआ है उसकी मृत्यू के समय उसकी पुत्री जो की अपीलाण्ट है उसकी जीवित वैद्य वारिस थी और गंगोल्या जब फौत हो गया उसके बाद रामजीलाल को दत्तक किस आधार पर मान लिया जो कि समझ से परे है इस प्रकार प्रस्ताव संख्या 9 द्वारा ग्राम पंचायत गीजगढ अवैध एवं शून्य होने से निरस्तनीय है। उक्त नामान्तकरण की जानकारी अपीलाण्ट को सर्वप्रथम दिनांक 03.11.2007 को हुई थी जिसकी नकल दिनांक 16.11.2007 को प्राप्त हुई इसलिए बाद जानकारी मियाद अन्दर अपील पेश की गई है। इसलिए अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 964 एवं 965 निरस्त कर मृतक गंगोल्या द्वारा छोडी गई भूमि को विरासतन अपीलाण्ट के हक में दर्ज किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

इत्यादि पर अपीलाण्ट की अपील दिनांक 21.11.2007 को दर्ज रजिस्टर की गई एवं रेस्पोडेण्ट को तलबी सम्मन जारी किए गए। उक्त अपील को न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 05.06.2009 को अपीलार्थीया की अपील अवधि पार होने के कारण खारिज फरमा दी गई। पत्रावली पुनः माननीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त महोदय से रिमाण्ड होकर प्राप्त हुई है जिसमें न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)

हाजा के निर्णय दिनांक 05.06.2007 को अपास्त कर पुनः निर्णय हेतु आदेशित किया गया है। अपीलाण्ट नारायणी पुत्र गंगोल्या फौत हो चुकी है जिसका वारिस झालूराम पुत्र कन्हैयालाल पत्रावली पर संधारित है। तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के वारिस 1/1 लगायत 1/6 है। जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है।

अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि विचाराधीन नामान्तकरण की सुनवाई में अपीलाण्ट को कोई नोटिस सूचना नहीं दी गई जिससे उन्हें प्रश्नगत नामान्तकरणों की जानकारी नही हो सकी, जानकारी होने की दिनांक से अपीलाण्ट द्वारा अन्दर मियाद अपील पेश की है इसलिए विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील को अन्दर मियाद निर्णित किया जावे। अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत नामान्तकरणों की सुनवाई के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाण्ट को किसी प्रकार से सूचना नोटिस इत्यादि नहीं दिए गए है, तथा न्यायालय की राय में प्रश्नगत नामान्तकरण ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक करते समय अपीलाण्ट को नियमानुसार नोटिस दिए जाने चाहिए थे तथा यह भी स्पष्ट नहीं है कि किस आधार पर रामजीलाल को गंगोल्या का वारिस मान लिया गया। इसलिए अपीलाण्ट ग्राम पंचायत के नामान्तकरण की सुनवाई में पक्षकार नहीं थी ऐसी स्थिति में आलौच्य नामान्तकरण की ज्ञान होने की तिथि से अपील अन्दर मियाद निर्णित की जाती है।

नामान्तकरण संख्या 964 एवं 965 पर बहस करते हुए अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि उक्त दोनों नामान्तकरण गंगोल्या को लाऔलाद फौत होना बताते हुए तथा रामजीलाल को गंगोल्या का गोद पुत्र अंकित करते हुए तस्दीक किए गए है जबकि गंगोल्या द्वारा अपने जीवनकाल में किसी को भी गोद नहीं लिया गया है न ही गंगोल्या लाऔलाद फौत हुआ है। गंगोल्या के फौत होने के समय उसकी वैध वारिस उसकी पुत्री नारायणी जिन्दी थी तथा नारायणी अब फौत हो चुकी है जिसकी विधिक वारिस झालूराम अपीलाण्ट संख्या 1/1 है। प्रश्नगत नामान्तकरणों में गंगोल्या को लाऔलाद फौत होना बताया है जो कि गलत है गंगोल्या के विधिक वारिस उसकी पुत्री नारायणी है तथा नामान्तकरणों को तस्दीक करते समय नारायणी को किसी प्रकार से सूचना नहीं दी गई एवं एकपक्षीय निर्णय कर दिया गया। इसलिए उक्त दोनो नामान्तकरण निरस्तनीय है तथा विवादित भूमि नारायणी के हक अधिकार की भूमि है। नारायणी अब फौत हो चुकी है तथा नारायणी द्वारा अपने

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

जीवनकाल मे एक वसीयतनामा इस आशय का झालूराम के हक में करवाया है कि जब तक वसीयतकर्ती स्वंय जीवित है तब तक ग्राम गीजगढ के समस्त चल, अचल सम्पत्ति कृषि भूमि मकान बाडा आबादी भूमि गै0मु0 चाह, आदी को में वसीयतकर्ती स्वंय मालिक एवं स्वामी रहेगी एवं मेरे स्वर्गवास होने के पश्चात मेरी उपरोक्त वर्णित सम्पति ग्राम गीजगढ तह0 सिकराय जिला दौसा का एकमात्र स्वामी एवं मालिक द्वितीय पक्ष झालूराम सैनी एक मात्र मालिक एवं स्वामी रहेगा। उक्त वसीयत पत्र उप पंजीयक दौसा के समक्ष दिनांक 04.11.2016 को पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 5 में पृष्ठ संख्या 194 कम संख्या 2016000026 पर पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 7 के पृष्ठ संख्या 600 से 606 पर चस्पा किया गया। इसलिए अब ग्राम गीजगढ में नारायणी के हक हिस्से की भूमि का एकमात्र स्वामी अपीलाण्ट संख्या 1/1 है। इसलिए दोनों प्रश्नगत नामान्तकरणों को निरस्त कर पुनः नामान्तकरण झालूराम के नाम दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार को दिए जावे।

बहस अपीलाण्ट अधिवक्ता का ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा पेश दस्तावेज इकरारनामा सहमति पत्र लल्लूराम वगै0 प्रथम पक्ष तथा झालुराम सैनी द्वितीय पक्ष पेश किया है जिसका अवलोकन किया गया। अन्य दस्तावेजात में अपीलाण्ट द्वारा माननीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त महोदय के समक्ष निर्णित नारायणी बनाम रामजीलाल मु0न0 2022/34 निर्णय आदेश दिनांक 16.07.2024, तहसीलदार सिकराय के समक्ष निर्णित प्रकरण झालूराम बनाम सरकार मु0न0 01/2022 निर्णय दिनांक 12.04.2022, न्यायालय तहसीलदार सिकराय द्वारा निर्णित प्रकरण रिमाण्ड नामान्तकरण संख्या 2019 ग्राम गीजगढ निर्णय दिनांक 03.03.2010 तथा वसीयतनामा नारायणीदेवी बहक झालूराम सैनी तथा झालूराम सैनी के नाम दर्ज ग्राम गीजगढ में दर्ज भूमि की जमाबंदीया पेश किया है जिनका अवलोकन किया गया। नामान्तकरण संख्या 964 एवं 965 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि उक्त दोनो नामान्तकरण गंगोल्या को लाऔलाद फौत मानते हुए तथा रामजीलाल को गंगोल्या को गोदपुत्र मानते हुए दर्ज किया गया है लेकिन उक्त गोदपुत्र किस आधार पर माना गया है इसका कोई अंकन नहीं है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1/1 लगायत 1/5 द्वारा माननीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त महोदय के समक्ष दिनांक 02.07.2024 को राजीनामा प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है जिसमें उभयपक्षकारान के आदेशिका पर हस्ताक्षर भी है लेकिन

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

रेस्पोडेण्ट संख्या 1/6 कौशल्या के हस्ताक्षर नहीं होने से प्रकरण पुनः इस न्यायालय को रिमाण्ड किया गया है। सहमति पत्र का अवलोकन किया गया, उक्त सहमति पत्र में यह अंकित किया गया है कि अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 964 एवं 965 ग्राम गीजगढ बउनवानी नारायणी बनाम रामजीलाल का प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा रामझौता सहमति पत्र के आधार पर उक्त प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण अपीलांट नारायणी पत्नि कन्हैयालाल के कायम मुकाम वारिस झालूराम पुत्र कन्हैयालाल जाति माली निवासी कालाखो तहसील दौसा हाल निवासी गीजगढ के हक में निस्तारण किये जाने में हम प्रथम पक्षगण/रेस्पोडेण्ट कीक पूर्ण सहमति है इसमें हम प्रथम पक्षकारान को किसी प्रकार की कोई आपत्ति एवं ऐतराज नहीं है। हालांकि उक्त रेस्पो0 न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुए है एवं उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है लेकिन उक्त रेस्पो0 माननीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त महोदय के समक्ष उपस्थित होकर राजीनामा पेश कियो गया है जो कि माननीय न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से भी स्पष्ट है। दस्तावेज सूची के साथ पेश न्यायालय तहसीलदार सिकराय के निर्णित प्रकरण रिमाण्ड नामान्तकरण संख्या 2019 ग्राम गीजगढ निर्णय दिनांक 03.03.2010 की प्रति का अवलोकन किया गया, जिसमें तहसीलदार सिकराय द्वारा विधिवत सुनवाई कर यह निर्णय पारित किया गया है कि "प्रार्थीया नारायणी मृतक गंगोल्या की ही पुत्री है तथा अन्य कोई वारिस नहीं है। अतः प्रश्नगत आराजी का नामान्तकरण प्रार्थीया नारायणी के हक में खोले जाने के आदेश दिये जाते है।" वसीयतनामा नारायणी देवी बहक झालूराम का अवलोकन किया गया जिसे उप पंजीयक दौसा द्वारा दिनांक 04.11.2016 को पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 5 में पृष्ठ संख्या 194 कम संख्या 2016000026 पर पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 7 के पृष्ठ संख्या 600 से 606 पर चस्पा कर पंजीबद्ध किया है तथा उक्त वसीयतनामे में यह अंकित किया गया है कि "जब तक वसीयतकर्ती स्वंय जीवित है तब तक ग्राम गीजगढ के समस्त चल, अचल सम्पत्ति कृषि भूमि मकान बाडा आबादी भूमि गै0मु0 चाह, आदी की में वसीयतकर्ती स्वंय मालिक एवं स्वामी रहेगी एवं मेरे स्वर्गवास होने के पश्चात मेरी उपरोक्त वर्णित सम्पति ग्राम गीजगढ तह0 सिकराय जिला दौसा का एकमात्र स्वामी एवं मालिक द्वितीय पक्ष झालूराम सैनी एक मात्र मालिक एवं स्वामी रहेगा"। न्यायालय तहसीलदार सिकराय के समक्ष निर्णित प्रकरण झालूराम बनाम राज0 सरकार प्रकरण संख्या 01/2022 निर्णय दिनांक 12.04.2022 का अवलोकन किया गया जिसमें

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

तहसीलदार सिकराय द्वारा यह निर्णय पारित किया है कि "मुताबिक पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 04.11.2016 के वसीयत में दर्ज समस्त चल अचल संपत्ति कृषि भूमि, आबदी भूमि, मकान बाडा कुआ आदि स्थित ग्राम गीजगढ स्व0 नारायणी देवी पत्न कन्हैयालाल के बजाय वसीयतनामा अनुसार झालूराम पुत्र कन्हैयालाल जाति सैनी नि0 गीजगढ के पक्ष में नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज किया जावे"। उक्त सभी दस्तावेजात के अवलोकन तथा अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस के मनन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत गीजगढ द्वारा नामान्तकरण संख्या 964 एवं 965 गंगोल्या को लाऔलाद फौत मानते हुए तथा रामजीलाल को गोदपुत्र मानते हुए तस्दीक किया गया है जो कि गलत है, गंगोल्या की वैध वारिस उसकी पुत्री नारायणी देवी है तथा उसने अपने जीवनकाल में रामजीलाल को गोद लिया हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद नहीं है न ही रेस्पोडेण्टस न कंही साबित किया है। गंगोल्या की वारिस उसकी पुत्री नारायणी देवी है तथा नारायणी देवी अब फौत हो चुकी है तथा नारायणी देवी द्वारा अपने जीवनकाल में ही वसीयतनामा झालूराम के हक में तस्दीक किया जा चुका है। इसलिए अब नारायणी के हक हिस्से की भूमि का एकमात्र स्वामी झालूराम है। इसलिए अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 964 एवं 965 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 964 एवं 965 ग्राम पंचायत गीजगढ दिनांक 30.07.1979 निरस्त किया जाता है तथा पुनः नामान्तकरण अपीलाण्ट संख्या 1/1 झालूराम के हक में दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें। पालना तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

(डॉ0 नवनीत कुमार R.A.S.)
हस्ताक्षर एवं मुद्रा
उपखण्ड अधिकारी सिकराय

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा